न्यायालय जिला कलक्टर, नागौर
बईजलास– दिनेश कुमार यादव,जिला कलक्टर,नागौर

रसद मामला संख्या– 14/2012

प्रार्थी	बनाम	अप्रार्थी
राजस्थान सरकार जरिये कंवराराम प्रवर्तन निरीक्षक (अभियोजन) जिला रसद कार्यालय, नागौर		राजेश पुत्र रामस्वरुप मूंदड़ा निवासी थांवला तहसील डेगाना

उपस्थिति :–
1. प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल।
2. अप्रार्थी की ओर से वकील श्री बाबुलाल खोजा।

निर्णय दिनांक – 11/07/2019

1. प्रार्थी द्वारा आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6–ए के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 4 में अंकित 18 घरेलू एवं 3 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनिय 1955 की धारा 6 ए में समपहरण करने के आदेश प्रदान करने हेतु निवेदन किया गया है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थी को जरिये नोटिस तलब किया गया। प्रकरण में अप्रार्थी की ओर से जबाब पेश किया गया एवं प्रार्थी की ओर से गवाह विनय कुमार शर्मा पुत्र रामावतार शर्मा जाति ब्राहमण निवासी अजमेर जिला रसद अधिकारी अजमेर, बाबुलाल कॉनिस्टेबल नं. 799 पुलिस थाना भावण्डा, श्री कल्याणसिंह कॉनिस्टेबल नम्बर 279 पुलिस थाना खाटूबड़ी, जगदीशसिंह कॉनिस्टेबल नम्बर 1185 पुलिस थाना मेड़तारोड़ के शपथ पत्र पेश किये गये।
2. वकुलाय की बहस सुनी गई। प्रार्थी की ओर से प्रवर्तन अधिकारी श्री रामजीवन बेनीवाल ने बहस में कथन किया कि दिनांक 01.01.2012 को मुखबिर से सूचना मिली कि कस्बा थांवला तहसील डेगाना स्थित आर्युवैर्दिक औषधालय के पास गली में स्थित श्री रामस्वरुप मूंदड़ा के गोदाम में घरेलू गैस सिलेण्डरो का अवैध भण्डारण किया हुआ है। मुखबिर की सूचना पर दिनांक 01.01.2012 को श्री विनयकुमार प्रवर्तन निरीक्षक डेगाना, श्याम सुन्दर शर्मा पुत्र इन्द्रचन्द शर्मा निवासी गोटन हाल मैनेजर चारभुजा भारत गैस एजेन्सी मेड़ता, श्री महेन्द्रसिंह पुत्र प्रहलादसिंह राजपूत डिलीवरी बॉय चारभुजा भारत गैस एजेन्सी मेड़ता एवं श्री कन्हैयालाल पुत्र मोहनराम डिलीवरी मैन के साथ थांवला तहसील डेगाना स्थित आर्युवैर्दिक औषधालय के पास गली में रेणीवालों के मौहल्ले में स्थित रामस्वरुप पुत्र राधाकिशन मूंदड़ा के नोहरें पर पहुंचे।
3. वक्त जांच मौके पर नोहरे के बड़ा लोहे का दरवाजा लगा हुआ था जिस पर ताला लगा हुआ पाया। जरिये तहरीर पुलिस थाना थांवला से इमदाद की मांग की गई। जिस पर बाबुलाल कानिस्टेबल, श्री गोपालसिंह कानिस्टेबल, श्री जगदीश कानिस्टेबल मौके पर उपस्थित हुए। श्री गोपालसिंह कानिस्टेबल को श्री रामस्वरुप को बुलाने भेजा गया। श्री गोपालसिंह कानिस्टेबल के साथ राजेश पुत्र श्री रामस्वरुप मूंदड़ा मौके पर उपस्थित हुए।
4. वक्त जांच श्री राजेश पुत्र रामस्वरुप निवासी थांवला ने रुबरु उपस्थितान गोदाम का ताला खोला। गोदाम मे खाद यूरिया (श्रीराम), तारामीरा एवं मूंगफली बोरी/ कट्टों में भरी हुई पाई। गोदाम के कोने में 18 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर कम्पनी बी.पी.सी. भरे हुए तथा 3 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर कम्पनी बी.पी.सी. भरे हुए बोरियों के नीचे ढककर रखे हुए पाये गये। इस प्रकार कुल 21 सिलेण्डर मौके पर पाये गये। उपस्थित श्री राजेश पुत्र श्री रामस्वरुप मून्दड़ा ने बताया कि ये सिलेण्डर गांव वाले उपभोक्ताओं के रखे है जो सुविधानुसार ले जायेगें। उक्त सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया हुआ पाया गया। उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण के बारे लाईसेंस आदि के बारे में पुछताछ की गई तो लाईसेंस नही होना बताया।
5. वक्त जांच थांवला तहसील डेगाना स्थित आयुवैर्दिक औषधालय के पास गली में स्थित श्री रामस्वरुप मूंदड़ा के गोदाम मे अवैध रुप से घरेलू एवं वाणिज्यक गैस सिलेण्डरों का

न्यायालय जिला कलक्टर नागौर (राजस्थान)

कलक्टर, नागौर

भण्डारण किया हुआ पाया गया। इस प्रकार श्री रामस्वरुप मूंदड़ा के गोदाम मे अवैध रुप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो का भण्डारण व्यवसायिक दुरुपयोग करने की नियत से रखना, "लिक्वीफाईड पैट्रालियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर,– 2000 के खण्ड 3(1) (b) (c), 4(1) (a) (b) (c), 2 खण्ड, 6, खण्ड 7 (1) (a) की स्पष्ट अवहेलना हैं जो कि, 'आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955' की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध हैं। अतः मौके पर उक्त पैरा नम्बर 4 में अंकित 18 घरेलू रसोई एवं 3 वाणिज्यक गैस सिलेण्डरों मय गैस को वास्ते सबुत जब्त सरकार किया जाकर मै. चारभुजा गैस सर्विस, मेड़ता के मैनेजर श्री श्यामसुन्दर शर्मा पुत्र श्री इन्द्रचन्द शर्मा की सुपुर्दगी मे देने का कथन करते हुए प्रार्थना पत्र के पैरा नम्बर 4 में अंकित 18 घरेलू एवं 3 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डरों मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनिय 1955 की धारा 6 ए में समपहरण करने के आदेश प्रदान कराने का निवेदन किया।

6. वकील अप्रार्थी ने अप्रार्थी की ओर से बहस में कथन किया कि उपरोक्त प्रकरण सरासर गलत तथ्य दर्ज कर पेश किया गया है तथाकथित सम्पूर्ण कार्यवाही मात्र अपना टारगेट पूरा करने के लिए झूठी की गयी है। प्रार्थी द्वारा कथित मुखबिर की सूचना रामस्वरुप मूंदड़ा के गौदाम में घरेलू गैस सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण बाबत् मिलने का तथ्य भी गलत होने से अस्वीकार है। प्रार्थी स्वयं द्वारा श्री रामस्वरुप मूंदड़ा के संबंध मे सूचना मिलना कथन किया जा रहा है व मामला अप्रार्थी राजेश मुंदड़ा के विरुद्व पेश किया है। अप्रार्थी राजेश मुंदड़ा रामस्वरुप मूंदड़ा से अलग निवास करता है। अप्रार्थी राजेश के विरुद्व सरासर गलत प्रकरण दर्ज करवाया है जो इसी कारण से खारिज किये जाने योग्य है।

7. प्रार्थी ने अपने साथ लाये पुलिस आदि का भय दिखा कर अप्रार्थी को जबरदस्ती हस्ताक्षर कथित रिपोर्टो पर करवाये है जबकि अप्रार्थी का इस मामले से कोई सरोकार नहीं है। अलबता यह सही है कि खाद्यबीज की दुकान महेश मुंदड़ा की है जिसके उक्त बाडे/गौदाम में उसका सामान माल पड़ा रहता है और उसके पास ही चारभूजा गैस एजेन्सी मेड़ता सिटी की गाड़ी आकर रुकती है व उपभौक्ता को वहां सिलेण्डर वितरीत किये जाते है जिससे आस–पास के गांवो वाले अपने–अपने गैस सिलेण्डर प्राप्त कर रामस्वरुप मुन्दड़ा से पुछ कर कुछ समय के लिए साधन मिलने तक वहां रखते है व ज्यों ही उनको साधन मिलते है तो अपने अपने घर ले जाते है इससे अप्रार्थी राजेश या श्री रामस्वरुप मुंदड़ा को कोई व्यवसाय जुड़ा होना नहीं कहा जा सकता न ही अप्रार्थी राजेश या श्री रामस्वरुप मूंदड़ा ने तथाकथित कोई अपराध ही किया है। मात्र मिलने वाले लोगो के निवेदन करने व कुछ समय तक उनका सामान व सिलेण्डर वगैराह अपने उक्त नौहरे/गौदाम में रखने देने की अनुमति दे देने की वजह से उनको इस तरह के कथित प्रकरण में आलिप्त नहीं किया जा सकता है। इस संबंध में सम्पूर्ण स्थिति प्रार्थी वगैरह को अप्रार्थी राजेश ने मौके पर बता दी थी व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इस्तगासा में भी स्पष्ट उल्लेख है कि राजेश पुत्र रामस्वरुप मून्दड़ा ने बताया कि ये सिलेण्डर गांव वाले उपभोक्ता के रख है जो सुविधानुसार ले जायेंगे। इसके बावजुद भी उक्त सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया होना मानकर लिक्वीफाईड पेट्रोलियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) ऑर्डर – 2000 के खण्ड 3(i) (b) (c) खण्ड 4(i) (b) (c) 2 खण्ड 6, खण्ड 7 (i) (a) की अवहेलना करने व आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करने के तथ्य सर्वथा गलत व विधि विरुद्व दर्ज किये होने से अस्वीकार है प्रकरण के तथ्यों, परिस्थितियों, अप्रार्थी की स्थिति व विधिक स्थिति अनुसार अप्रार्थी के विरुद्व उपरोक्त प्रावधान के तहत कोई मामला नहीं बनता है न अप्रार्थी ने तथाकथित कोई अपराध किया है। सम्पूर्ण कार्यवाही मिथ्या की गयी है जिससे खारिज किये जाने योग्य है व जब्तसुदा सिलेण्डर उनके मालिको को सुपुर्द किया जाना न्याय संगत है जिसके संबंध में संबंधित सिलेण्डर मालिकों के शपथ पत्र पेश है जिन शपथ पत्रों से भी कथित मामला मिथ्या बनाया होना स्पष्ट रूप से साबित होता है।

8. अप्रार्थी को किसी अन्य व्यक्ति या उपभोक्ता को भरा हुआ गैस सिलेण्डर विक्रय करते हुए न तो किसी ने देखा न बरवक्त फर्द जब्ती के किसी अन्य व्यक्ति को गैस सिलेण्डर विक्रय करता हुआ पाया गया न ऐसा कोई तथ्य पत्रावली मौजूद होने का कथन करते हुऐ वकील

अप्रार्थी ने अप्रार्थी के विरूद्ध अनाधिकृत मामला बनाया गया है। वकील प्रार्थी ने अपनी मौखिक बहस में अतिरिक्त कथन किया कि हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों से अप्रार्थी का कोई लेना–देना नहीं होने से उसके विरूद्ध कार्यवाही ड्रोप करने व जब्तशुदा सिलेण्डर संबंधित मालिकों को सुपुर्द करने का आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

9. प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रार्थना के पैरा संख्या–4 में बी.पी.सी. गैस कम्पनी के 18 घरेलू एवं 3 वाणिज्यिक भरे हुए गैस सिलेण्डरों का सिरियल नम्बर निम्नानुसार बताये गये है:– 431071, 66983, 082320, 404300, 127002, 078843, 461183, 311464, 66932, 173382, 175570, 56169, 583555, 244926, 316015, 504353, 599247, 194419, 024708, 15313, 171153 इस प्रकार कुल 21 घरेलू एवं वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर जब्त किए गए।

10. उक्त प्रकरण में जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों के संबंध में श्री मेवाराम पुत्र छोगाराम जाति जाट, श्री रामजीवण पुत्र सुगनाराम जाति प्रजापत, संजय कुमार पुत्र कानाराम जाति प्रजापत, श्री कानाराम पुत्र शंकरलाल जाति कुम्हार, मीना पुत्री रामस्वरूप जाति महाजन, हनुमान पुत्र आईदानराम जाति कुम्हार, बिदामीदेवी पत्नी पाबूराम जाति जाट, श्री भवानीसिंह पुत्र गंगासिंह जाति राजपूत, श्री हाथीराम पुत्र प्रभुराम जाति मेघवाल, देवकरण पुत्र कल्याणमल जाति ब्राहमण, श्री लालाराम पुत्र भारमल जाति गुर्जर, रामाराम पुत्र नेनूराम जाति गुर्जर, तेजाराम पुत्र रूपाराम जाति गुर्जर, राकेश कुमार पुत्र कुम्भराज जाति महाजन, सुरेश कुमार पुत्र कुम्भराज जाति महाजन, धनराज पुत्र दीनदयान जाति महाजन, मुकेश पुत्र रामस्वरूप जाति महाजन, छोटूडी पत्नी पांचूराम जाति रेगर के शपथ पत्र पेश हुऐ है, उक्त शपथ पत्रो के द्वारा हस्तगत प्रकरण में जब्तशुदा गैस सिलेण्डर अपने होना तथा श्री रामस्वरूप पुत्र श्री राधाकिशन मुंदड़ा निवासी थावला तहसील डेगाना के दुकाने के गोदाम/नोहरे में रखना तथा साधन मिलने पर ले जाने बाबत कथन करते हुऐ उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डर उन्हे वापिस सुपुर्द करने का निवेदन किया गया है।

11. उभय पक्षकारान की बहस पर मनन किया। सम्पूर्ण पत्रावली का अद्योपान्त अवलोकन किया गया। प्रकरण में दौराने जॉच थांवला तहसील डेगाना स्थित आर्युवैर्दिक औषधालय के पास गली में स्थित श्री रामस्वरुप मूंदड़ा के गोदाम/नोहरे का श्री राजेश पुत्र रामस्वरुप निवासी थांवला ने रुबरु उपस्थितन गोदाम का ताला खोला। गोदाम के कोने में 18 घरेलू रसोई गैस सिलेण्डर कम्पनी बी.पी.सी. भरे हुए तथा 3 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर कम्पनी बी.पी.सी. भरे हुए बोरियों के नीचे ढककर रखे हुए पाये गये। इस प्रकार कुल 21 सिलेण्डर मौके पर पाये गये। उपस्थित श्री राजेश पुत्र श्री रामस्वरुप मून्दड़ा ने बताया कि ये सिलेण्डर गांव वाले उपभोक्ताओं के रखे है जो सुविधानुसार ले जायेगें। उक्त सिलेण्डरों का अवैध भण्डारण किया हुआ पाया गया। उक्त सिलेण्डरों के भण्डारण के बारे लाईसेंस आदि के बारे में पुछताछ की गई तो लाईसेंस नही होना बताया। वक्त जांच थांवला तहसील डेगाना स्थित आयुवैर्दिक औषधालय के पास गली में स्थित श्री रामस्वरुप मूंदड़ा के गोदाम मे अवैध रुप से घरेलू एवं वाणिज्यक गैस सिलेण्डरों का भण्डारण किया हुआ पाया गया। इस प्रकार श्री रामस्वरुप मूंदड़ा के गोदाम मे अवैध रुप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो का भण्डारण व्यवसायिक दुरुपयोग करने की नियत से रखना, "लिक्वीफाईड पैट्रालियम गैस (रेग्यूलेशन ऑफ सप्लाई एण्ड डिस्ट्रीब्यूशन) आर्डर,– 2000 की खण्ड 3(1) (b) (c), 4(1) (a) (b) (c), 2 खण्ड, 6, खण्ड 7 (1) (a) की स्पष्ट अवहेलना हैं जो कि, 'आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955' की धारा 3/7 के अन्तर्गत दण्डनीय अपराध करना बताते हुऐ प्रकरण में प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–18 में अंकित 18 घरेलू एवं 3 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर मय गैस जब्तशुदा को समपहरण (Confiscate) करने के आदेश प्रदान करने का निवेदन किया है।

12. उपरोक्तानुसार तथ्यों से स्पष्ट है कि उक्त जब्तशुदा गैस सिलेण्डर रामस्वरूप मूंदड़ा के गोदाम से जब्त किये गये है एवं प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या–5 के अनुसार श्री रामस्वरुप मूंदड़ा के गोदाम मे अवैध रुप से घरेलू रसोई गैस सिलेण्डरों एवं व्यवसायिक गैस सिलेण्डरो का भण्डारण व्यवसायिक दुरुपयोग करने की नियत से रखना बताया गया है, तो फिर इन जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का भण्डारण व्यवसायिक दुरुपयोग करने की नियत से रखना अप्रार्थी राजेश पर किस प्रकार साबित है। इस संबंध में प्रार्थी

द्वारा कोई ठोस साक्ष्य प्रस्तुत नहीं की गई है। इसके अतिरिक्त वकील अप्रार्थी का कथन कि उक्त बाडे/गौदाम में उसका सामान माल पड़ा रहता है और उसके पास ही चारभूजा गैस एजेन्सी मेड़ता सिटी की गाडी आकर रुकती है व उपभौक्ता को वहां सिलेण्डर वितरीत किये जाते है जिससे आस–पास के गांवो वाले अपने–अपने गैस सिलेण्डर प्राप्त कर रामस्वरुप मुन्दड़ा से पुछ कर कुछ समय के लिए साधन मिलने तक वहां रखते है व ज्यों ही उनको साधन मिलते है तो अपने अपने घर ले जाते है। वकील प्रार्थी के उक्त कथन से यह स्पष्ट है कि उक्त प्रकरण में जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों का अप्रार्थी राजेश का कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा उक्त प्रकरण में जब्तशुदा गैस सिलेण्डरों के संबंध में उपरोक्तानुसार व्यक्तियों द्वारा जो शपथ पत्र प्रस्तुत किये गये है, उसमें उनका सिलेण्डर संख्या क्या है, का उल्लेख नहीं किया है। उक्त शपथ पत्र प्रस्तुतकर्ता भी न्यायालय में दौराने बहस उपस्थित होकर कोई कथन नहीं किया है। प्रकरण में फर्द मौका जॉच एवं जब्ती दिनांक 01.12.2012 से यह स्पष्ट है कि हस्तगत प्रकरण में श्री रामस्वरुप मुन्दड़ा के गौदाम/नोहरे से उपरोक्तानुसार 18 घरेलू एवं 3 वाणिज्यिक गैस सिलेण्डर मय गैस के जब्त किये गये है।

13. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र आंशिक रूप से स्वीकार किया जाता है। प्रार्थना पत्र के पैरा संख्या 4 में दर्ज एवं उपरोक्तानुसार जब्त सुदा 18 घरेलू गैस सिलेण्डर एवं 3 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस को आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 की धारा 6 ए में समपहरण (Confiscate) करने का आदेश दिया जाता है। उक्त जब्तशुदा 18 घरेलू सिलेण्डरों एवं 3 व्यावसायिक गैस सिलेण्डर मय गैस के सम्बधित कम्पनी के माध्यम से नियमानुसार कीमतन निस्तारण करने तथा अन्य सामग्री का भी नियमानुसार निस्तारण करने के जिला रसद अधिकारी नागौर को निर्देश दिये जाते है। उक्तानुसार प्राप्त राशि राजकीय राशि घोषित की जाती है। निर्णय की प्रति जिला रसद अधिकारी नागौर को पालनार्थ भिजवाई जावे।

14. निर्णय खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(दिनेश कुमार यादव)
जिला कलेक्टर, नागौर